



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक 229/परीक्षा/2026

दिनांक 18/04/2026

परीक्षा समिति की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त

मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2026 दिन शनिवार को अपराह्न 03:00 बजे महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के सभागार कक्ष में परीक्षा समिति की 34वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत हैं—

क्र०सं०	नाम	संस्था का नाम	पद नाम	समिति दायित्व
01	प्रो० संजीव कुमार	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	कुलपति	अध्यक्ष
02	प्रो० दिनेश कुमार तिवारी	डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
03	प्रो० एस. ताहिर हसन	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
04	प्रो० बृजेश कुमार	श्री दुर्गा जी० पी०जी० कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
05	प्रो० देवेन्द्र प्रताप सिंह	कूबा महाविद्यालय दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
06	प्रो० काजी नदीम आलम	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
07	प्रो० अफजाल अहमद	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
08	डॉ० अंजनी कुमार मिश्र	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	कुलसचिव	सदस्य
09	प्रो० शर्वेश कुमार पाण्डेय	डी०सी०एस०के० पी०जी० कालेज, मऊ	प्राचार्य	विशेष आमन्त्रित सदस्य
10	श्री आनन्द कुमार मौर्य	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

मद संख्या 1. परीक्षा समिति की 33वीं बैठक दिनांक 15.11.2025 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय— समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की 33वीं बैठक दिनांक: 15.11.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।

मद संख्या 2. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ कराये जाने एवं परीक्षा प्रणाली की समानता पर विचार।

(विवरण— विगत विषम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विषय/पाठ्यक्रम की परीक्षा विवरणात्मक तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा बहुविकल्पीय (ओ०एम०आर०) प्रणाली से करायी गयी है उक्त परीक्षाओं को आगामी परीक्षा में समान रूप से कराये जाने पर विचार।





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

निर्णय—

समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ कराये जाने तथा विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएँ आगामी परीक्षा में समान रूप से कराये जाने की समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी।

मद संख्या 3. परीक्षा परिणाम में ग्रेस मार्क हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार।

निर्णय—

समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा परिणाम में कृपांक (ग्रेस मार्क) हेतु गठित समिति की रिपोर्ट जिसमें आवश्यकतानुसार विभाजित करते हुए अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में 5 अंक का कृपांक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है, पर संस्तुति की गयी है।

मद संख्या 4. परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्पुष्टीकरण/संशोधन पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा केन्द्रों की सूची को समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति संस्तुति की गयी।

मद संख्या 5. शिक्षकों के स्नातक एवं परास्नातक के भेदभाव को समाप्त करने पर विचार।

(विवरण— प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक, प्रश्नपत्र निर्माण, विषय संयोजक की नियुक्ति तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षक नामित करने में स्नातक व परास्नातक के भेदभावों को समाप्त करने पर विचार)

निर्णय—

प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक, प्रश्नपत्र निर्माण, विषय संयोजक की नियुक्ति तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के स्नातक एवं परास्नातक के भेदभाव को समाप्त करने पर समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति संस्तुति की गयी।

मद संख्या 6. बी0सी0ए0 व अन्य विषय/पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर जिसकी परीक्षा बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा करायी गयी है उनके अंक पत्रों को जारी करने पर विचार।

निर्णय—

समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि बी0सी0ए0 व अन्य विषय/पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर जिसकी परीक्षा बीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा करायी गयी है, यदि उनके अंक पत्र बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से प्राप्त नहीं हैं, परन्तु पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा डाटा महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ को दिया गया है। ऐसे छात्रों को महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से अंक पत्र की प्रिटिंग कर छात्रों उपलब्ध करा दी जाय।

मद संख्या 7. बी0एड0 की दो छात्राओं के प्रकरण पर विचार।

(विवरण— 1. छात्रा श्रेया बरनवाल बी0एड0 सत्र 2021-23 अनु0 222762744570 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पुनः कराने अथवा औसत अंक प्रदान करने के अनुरोध पर विचार।

निर्णय—

छात्रा श्रेया बरनवाल बी0एड0 सत्र 2021-23 अनु0 222762744570 तृतीय सेमेस्टर में औसत उत्तीर्ण अंक प्रदान करने हेतु समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी है।



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

मद संख्या 7 (2) छात्रा ज्योत्सना मिश्रा बी0एड0 सत्र 2021-23 अनु0 22877293657 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा परीक्षा केन्द्र की गलती से नये पाठ्यक्रम से परीक्षा दी गयी जिसके संज्ञान में आने बाद विश्वविद्यालय द्वारा पुनः पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा कराई गयी जिसमे छात्रा की आपरेशन से डिलिवरी होने कारण परीक्षा नहीं दे पायी, छात्रा द्वारा नये पाठ्यक्रम से परीक्षा परिणाम घोषित करने अथवा पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा कराने के अनुरोध पर विचार सूच्य है कि छात्रा ज्योत्सना मिश्रा अनु0 22877293657 नये पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण है।)

निर्णय- छात्रा ज्योत्सना मिश्रा बी0एड0 सत्र 2021-23 अनु0 22877293657 तृतीय सेमेस्टर नये पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण है। अतः उक्त अंक को पुराने पाठ्यक्रम में परिवर्तित कर परिणाम घोषित किया जाय। यदि इस प्रकरण से सम्बन्धित उक्त सेमेस्टर में कोई अन्य छात्र भी प्रभावित हो तो उसका भी इसी प्रकार से निराकरण कर दिया जाय।

मद संख्या 8. माइनर विषयों की परीक्षा केवल प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में ही कराये जाने पर विचार।

निर्णय- परीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा माइनर विषयों की परीक्षा आगामी सत्र से केवल प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में ही कराये जाने पर सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी है।

मद संख्या 9. प्राणि विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के विषय के तृतीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के पेपर में पेपर की संख्या अधिक हो रही थी जिसके परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय- प्राणि विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के विषय के तृतीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के पेपर में पेपर की संख्या अधिक हो रही थी जिसके परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति का सम्पुष्टीकरण समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया है।

मद संख्या 10. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कराये जाने पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कराये जाने हेतु समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

मद संख्या 11. परीक्षाओं हेतु उत्तरपुस्तिकाओं के सम्बन्ध में नयी उत्तरपुस्तिका को GeM के माध्यम से निविदा की गयी है, उक्त पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एजेंसी एवं प्राचार्यगण द्वारा की गयी आपत्तियों के दृष्टिगत किये गये संशोधन पर विचार।

(विवरण- विभिन्न नोडल केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय परिसर में कुल 105250 उत्तरपुस्तिकाएं उपलब्ध हैं जिनका मूल्य 13,64,040 होता है। सूच्य है कि यदि GeM द्वारा निविदा किये जाने से उत्तरपुस्तिकाओं को प्रयोग में लाया जायेगा तो पुरानी उत्तरपुस्तिकाएं निस्प्रयोज्य हो जायेंगी जिससे विश्वविद्यालय को अर्थिक क्षति होगी।)

निर्णय- परीक्षाओं हेतु उत्तरपुस्तिकाओं के सम्बन्ध में नयी उत्तरपुस्तिका को GeM के माध्यम से निविदा की गयी है, उक्त पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एजेंसी एवं प्राचार्यगण द्वारा की गयी आपत्तियों के दृष्टिगत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व के जैसी उत्तरपुस्तिकाएं प्रचलित थी उन्हें ही GeM द्वारा प्राप्त L1 एजेंसी से मोलभाव करने के पश्चात छापने का आदेश प्रदान कर दिया जाय।



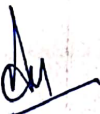
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

मद संख्या 12. अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बी0एड0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षक में परीक्षा नामित करने हेतु छात्र संख्या पर विचार।

(विवरण- सूच्य है कि बी0एड0 में 50 छात्रों का एक यूनिट होता है, छात्रों की संख्या 50 से एक भी अधिक होने पर दो यूनिट हो जाते हैं ऐसी स्थिति में दो परीक्षक नामित किये जाते हैं जिससे शिक्षक एवं छात्र दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।)

निर्णय-

समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक नामित करने हेतु यदि किसी केन्द्र पर छात्र संख्या 70 से कम है तो एक परीक्षक नामित किया जाय यदि छात्र संख्या 70 से अधिक है तो उक्त केन्द्र पर दो परीक्षक नामित किये जाय।


परीक्षा नियंत्रक


मा0 कुलपति जी

परीक्षा नियंत्रक / मा० कुलपति

अवगत कराना है कि 34वीं परीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा मद संख्या 06 में यह निर्णय लिया गया है कि बी०सी०ए० व अन्य विषय/पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर जिसकी परीक्षा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा करायी गयी है यदि उनके अंक पत्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से प्राप्त नहीं, परन्तु पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा डाटा महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ को दिया गया है। ऐसे छात्रों को महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ से अंक पत्र की प्रिंटिंग कर छात्रों उपलब्ध करा दी जाय।

उक्त के क्रम में दीक्षा सिंह पुत्री अमन सिंह अनुक्रमांक 22204054464 विषय - बी०एस०सी० कृषि प्रथम सेमेस्टर द्वारा वी०वी०एस०पी०यू० जौनपुर द्वारा आनलाइन उपलब्ध कराये गए अंक पत्र के पेपर कोड AG-110A में 76 अंक है परन्तु वी०वी०एस०पी०यू० जौनपुर द्वारा प्राप्त डेटा में 71 अंक प्रदर्शित हो रहा है। जो कि E-Mail से प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में छात्रा दीक्षा सिंह पुत्री अमन सिंह अनुक्रमांक 22204054464 विषय - बी०एस०सी० कृषि प्रथम सेमेस्टर द्वारा वी०वी०एस०पी०यू० जौनपुर से प्राप्त डेटा के आधार पर 71 अंक प्रदान करते हुए अंक पत्र प्रिंटिंग की अनुमति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

मा० कुलपति जी
अनुमोदनाय प्रस्तुत।





29.5.26

